म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

ब्लॉक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय–59, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल)

क्र./ 187 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-II/2013 भोपाल, दिनांक 5/01/2013

प्रति

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यकम् समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला – समस्त

विषय: ग्राम पंचायतों में नवीन कार्य प्रारंभ करने बावत।

संदर्भ: परिषद का पत्र कमांक/9208/MGNREGS-MP/NR-3/SE-II/2012 दिनांक 27.09.12

–00–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराये जाने के लिये अभियान के रूप में कार्यवाही करने पर भी जिलों में वृहद संख्या में अपूर्ण कार्य शेष हैं।

रोजगार की मांग होने पर श्रमिकों को सर्वप्रथम प्रगतिरत कार्यो पर ही नियोजित किया जावे। नवीन कार्य तभी प्रारंभ किया जावे, जब ग्राम पंचायत में कोई भी प्रगतिरत कार्य नहीं है। यदि रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक है तथा प्रगतिरत कार्य पर कम संख्या में नियोजन किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में भी नवीन कार्यो में निम्न श्रेणी (केटेगरी) के कार्य ही स्वीकृत किये जावे :–

1. पंचायत भवन।
2. आंगनवाड़ी भवन।
3. पंचपरमेश्वर के अंतर्गत सी.सी. रोड़ का निर्माण।
4. स्कूलों के लिये डायनिंग शेड का निर्माण।
5. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत टायलेट का निर्माण।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की प्रति समस्त कियान्वयन एजेंसी एवं कार्यकम अधिकारियों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावे।

3/1/13
(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृ.क्र./ 188 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-I/F.NO-24/2013 भोपाल, दिनांक 5/01/2013

प्रतिलिपिः–

संभाग आयुक्त .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ। कृपया जिलों की समीक्षा बैठक में उक्त बिन्दु को भी शामिल किया जावे।

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

E/Grewal road-Latter-2012_207